

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक- 27/03/2018


विषय:- रक्त भंडार (पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल), पटना को विपत्र कोड-20-2210012000008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में यात्रा व्यय मद में आय-व्ययक में उपबंधित रू० 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) मात्र एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र अर्थात् कुल रू० 1,05,000/- (रुपये एक लाख पाँच हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (रक्त भंडार), पटना के पत्रांक-71 दिनांक-17.02.2018 के आलोक में रक्त भंडार (पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल), पटना को विपत्र कोड-20-2210012000008 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में यात्रा व्यय मद में आय-व्ययक में उपबंधित रू० 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार) मात्र एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र अर्थात् कुल रू० 1,05,000/- (रुपये एक लाख पाँच हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पुनर्विनियोग से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का कुल आवंटन	वर्तमान आवंटन	अद्यतन कुल आवंटन	शेष राशि
0008.11.01 यात्रा व्यय	50000	80000	130000	25000	105000	130000	0
योग-	50000	80000	130000	25000	105000	130000	0

- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड-20-2210012000008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आय-व्ययक में उपबंधित एवं पुनर्विनियोग से प्राप्त स्वीकृत्यादेश सं०-382(1) दिनांक-29.03.2018 द्वारा प्राप्त राशि से किया जायेगा।
- आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



6. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

7. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

9. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-1/रक्त-02/2017- 134(1) /स्वा0, पटना, दिनांक-29/03/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञाप संख्या-1/रक्त-02/2018- 382(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 29/03/2018

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा-वित्त विभाग

विषय:- माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड-20-2210012000008 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0008.11.01 यात्रा व्यय मद में रू0 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

आदेश- वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत 0008.11.01 यात्रा व्यय मद में रू0 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड-20-2210012000008 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा (विवरणी संलग्न)।

3. संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र सं0- 2561 वि0(2) दिनांक 17.04.98, परिपत्र सं0 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007 एवं 2398 वि0(2) दिनांक 08.04.08 में निदेशित प्रक्रिया के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।


7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


29/3/18
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-1/रक्त-02/2018- 382(1) /स्वा0, पटना, दिनांक- 29/03/2018

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-1 को अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


29/3/18
सरकार के विशेष सचिव

अतिरिक्त / अनुदान
.....के लिए आवेदन-पत्र
पुनर्विनियोग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

*अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

*द्वारा- वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या-1/रक्त-02/2018- 333(1) /स्वा०, पटना, दिनांक-19 /03 /2018

माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड- 20-2210012000008 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0008.11.01 यात्रा व्यय मद में रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र पुनर्विनियोग की स्वीकृति के प्रसंग में वित्त विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापित ।

2. अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20

पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित ।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन पदाधिकारी का पदनाम- अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना

नियंत्रण पदाधिकारी का पदनाम- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

अतिरिक्त / अनुदान मांग सं०-20


पुनर्विनियोग की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्याशित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कुछ हो ।

पुनर्विनियोग

माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड- 20-2210012000008 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0008.11.01 यात्रा व्यय मद में रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र की राशि संस्थान में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी के देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत एल०टी०सी० के भुगतान हेतु नितान्त आवश्यकता है ।

माँग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-रक्त भंडार, विपत्र कोड- 20-2210012000008 के 0008.13.01 कार्यालय व्यय मद में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल समतुल्य राशि रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार) मात्र के बचत की संभावना है, जिसे प्रत्यर्पित करते हुए पुनर्विनियोग का प्रस्ताव उपस्थापित है ।

पुनर्विनियोग की राशि बजट उपबंध के 25% के अंदर है ।


सरकार के संयुक्त सचिव

अनुसूची 53-प्रपत्र सं०-221

मॉग सं०-20

अनुदान / विनियोग

मॉग सं०-20

मॉग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एल।पैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-स्कत भंडार, विपत्र कोड-20-2210012000008

मॉग संख्या-20, मुख्य-शीर्ष-2210- विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य
सेवाएँ-एल।पैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0008-स्कत भंडार, विपत्र कोड-20-2210012000008

शीर्ष जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।						शीर्ष जिससे विनियोग प्रस्तावित है।					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	कुल अनुदान को जोड़ने के बाद रहेगा	विनियोग की प्राथमिक ईकाईयाँ	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)	वर्तमान अनुदान	तत्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च	प्रत्यर्पित राशि	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा
	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0		₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
0008.11.01 यात्रा व्यय	50000	50000	130000	80000	130000	0008.13.01 कार्यालय व्यय	500000	500000	420000	80000	420000
कुल योग-				80000						80000	

333(1)

19-03-2018

सरकार के संयुक्त सचिव